बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)
तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014
संख्या– व.सं./41/2021-141

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
बिहार, पटना।

पटना 14, दिनांक– 23/09/2022

विषय – 400 के० वी० डबल सर्किट (क्वार्ड मूस) लिलो ऑफ किशनगंज–दरभंगा 400 के०वी० लाईन ऑफ पावर ग्रिड एट सहरसा (New Loop in & Loop Out both) पारेषण लाईन के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 2.1904 हे० वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि 400 के० वी० डबल सर्किट (क्वार्ड मूस) लिलो ऑफ किशनगंज–दरभंगा 400 के०वी० लाईन ऑफ पावर ग्रिड एट सहरसा (New Loop in & Loop Out both) पारेषण लाईन के निर्माण के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 2.1904 हे० वन भूमि अपयोजन हेतु महाप्रबंधक, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफं इंडिया लि०, सहरसा का प्रस्ताव अनुसंशोपरान्त वन संरक्षक, पूर्णियाँ अंचल, पूर्णियाँ के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

2. प्रस्तावित पारेषण लाईन राज्य के दो वन प्रमंडलों से होकर गुजरेगी जिसमें अपयोजित होने वाली वन भूमि एवं पारेषण लाईन निर्माण होने के क्रम प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची निम्नलिखित है–

क्रम सं०	वन प्रमंडल का नाम	क्षेत्रफल (हे० में)	Tranlocate किये जाने वाले वृक्षों की संख्या	यथावत परियोजना स्थल पर सुरक्षित बचाये जाने वाले वृक्षों की संख्या	पातित किये जाने वाले वृक्षों की संख्या	
					वृक्ष	बाँस
2	सहरसा	1.5824	388	69	50	90
3	सुपौल	0.608	64	0	72	673
	कुल	**2.1904**	**452**	**69**	**122**	**763**

3. वन प्रमंडल पदाधिकारी, सहरसा एवं सुपौल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परियोजना निर्माण के क्रम में कुल 452 वृक्षों को Translocation, 69 वृक्षों को यथावत परियोजना स्थल पर सुरक्षित बचाये जाने एवं 122 वृक्षों सहित 763 बाँस के पातन का प्रस्ताव है। परियोजना निर्माण के क्रम में प्रभावित होने वाले 452 वृक्षों को प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी के दिशा–निर्देश में **Translocate** कराया जायेगा एवं 122 वृक्षों सहित 763 बाँस को पातित किया जाना आवश्यक है।

4. वन प्रमंडल पदाधिकारी, सहरसा एवं सुपौल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अपयोजित होने वाली वन भूमि वन्यप्राणी आश्रयणी एवं राष्ट्रीय उद्यान का भाग नहीं है। प्रस्तावित पारेषण लाईन पथ तट, नहर तट एवं बांध तट के रूप में अधिसूचित क्षेत्र से हो कर गुजरती है, इस क्रम में कुल 2.1904 हे० वन भूमि का अपयोजन होना प्रस्तावित है।

5. वन प्रमंडल पदाधिकारी, सहरसा एवं सुपौल तथा वन संरक्षक, पूर्णियाँ द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि कि अनुशंसा वन प्रमंडल पदाधिकारी, सहरसा एवं सुपौल तथा वन संरक्षक, पूर्णियाँ द्वारा की गयी है।

6. वन प्रमंडल पदाधिकारी, सहरसा द्वारा परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि का वानस्पतिक घनत्व 0.4 से कम अंकित किया गया है। इसी प्रकार सुपौल वन प्रमंडल अन्तर्गत अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये वन प्रमंडल पदाधिकारी, सुपौल द्वारा वानस्पतिक घनत्व 0.75 अंकित किया गया है। पारेषण लाईन के रेखांकण को मूल टोपो शीट नक्शा पर दर्शाते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित मूल टोपो शीट नक्शा Index के साथ संलग्न किया गया हैं। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराया गया Geo Referring Map प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

7. परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये जिला पदाधिकारी, सहरसा एवं सुपौल द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है। परन्तु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-43/2013-FC दिनांक 26.02.2019 के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र, सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के अनुपालन के साथ उपलब्ध कराने संबंधित दिशा–निर्देश निर्गत की गयी है। तद्आलोक में बिना FRA, 2006 प्रमाण पत्र के ही प्रस्ताव पर Stage-I की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव अग्रसारित किया जा रहा है।

8. वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई के पत्रांक 662 दिनांक 25.03.2021 द्वारा परियोजना निर्माण के क्रम में कुल 2.1904 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगुने 4.3808 हे० अर्थात् 4.50 हे० अवकृष्ट वन भूमि को वन प्रमंडल, जमुई के चकाई प्रक्षेत्र अन्तर्गत गरगरो PF को चिन्हित किया गया है। वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिये उपर्युक्त है, से संबंधित प्रमाण पत्र के साथ प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई से प्राप्त की गयी है एवं क्षतिपूरक वनीकरण के लिये चिन्हित वन भूमि का Geo-referenced नक्शा तैयार कराया गया है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

9. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है।

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. परियोजना निर्माण में सहरसा जिलान्तर्गत 1.5824 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 9.57780 लाख प्रति हे० के दर से रू० 15,15,591/– मात्र एवं सुपौल जिलान्तर्गत 0.608 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 13.57110 लाख प्रति हे० के दर से रू० 8,25,123/– मात्र इस प्रकार परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये NPV के मद में कुल रू० 23,40,714/– (रूपये तैईस लाख चालीस हजार सात सौ चौदह) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. अपयोजित होने वाली 2.1904 हे० वन भूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये जमुई वन प्रमंडलन्तर्गत 4.50 हे० अवकृष्ट वन भूमि गरगरो सुरक्षित वन में चिन्हित करते हुए रू० 19,48,260/– मात्र का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जाएगी।

4. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 1224/– रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।

प्रस्ताव की दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न भेजी जा रही। **उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।**

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– व.सं./41/2021-141 दिनांक 23/02/2022

प्रतिलिपि – वरिष्ठ महाप्रबंधक पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लि० सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आपसे अनुरोध है कि जिला पदाधिकारी, सुपौल एवं सहरसा द्वारा निर्गत FRA, 2006 का प्रमाण उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

23/2/22

(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

400 के० वी० डबल सर्किट (क्वार्ड मूस) लिलो ऑफ किशनगंज–दरभंगा 400 के०वी० लाईन ऑफ पावर ग्रिड एट सहरसा (New Loop in & Loop Out both) पारेषण लाईन के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 2.1904 हे. वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव का चेक लिस्ट–

क्र० सं०	विवरणी	अभ्युक्ति
1	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–I	संलग्न।
2	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी Undertaking	संलग्न।
3	प्रयोक्ता एजेंसी एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरित टोपोशीट नक्शा	संलग्न।
4	वन प्रमंडल पदाधिकारी, सहरसा एवं सुपौल द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–II	संलग्न।
5	वन प्रमंडल पदाधिकारी, सहरसा एवं सुपौल का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन	संलग्न।
6	परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि की गणना विवरणी।	संलग्न।
7	वन प्रमंडल पदाधिकारी, सहरसा एवं सुपौल द्वारा उपलब्ध करायी गयी वृक्षों की गणना सूची।	संलग्न।
8	वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई द्वारा उपलब्ध करायी गयी क्षतिपूरक वनरोपण का प्राक्कलन।	संलग्न।
9	वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई द्वारा स्थल क्षतिपूरक वनरोपण हेतु उपयुक्त है से संबंधित प्रमाण पत्र	संलग्न।
10	वन संरक्षक, पूर्णियाँ द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–III	संलग्न।
11	वन संरक्षक, पूर्णियाँ द्वारा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन	संलग्न।
12	नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–IV	संलग्न।

23/2/22

(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

फोन न०–08986153139

ई–मेल apccfcampa.bih@gmail.com